ग्राम पंचायत, कोटला विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग—एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD / 2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कोटला, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः—

प्रधान

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति चम्पा	1.4.13 से 22.1.16
2	श्री सूरज प्रकाश	23.1.16 से लगातार

सचिव

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्री कमल राकेश वर्मा	1.4.13 से 24.11.14
2	श्री हीरा लाल	25.11.14 से 8.1.15
3	श्रीमति भारती	9.1.15 से 8.7.15
4	श्री लीलाधर	9.7.15 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत कोटला के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क0 सं0	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि {लाखों में}
1	5(ख)	रोकड वही तथा बैंक खातों के अन्त शेष में अन्तर पाया जाना	0.04
2	9	पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.06
3	10	13वें व 14वें वित्तायोग से प्राप्त अनुदान की राशि का उपयोग न करना	2.01
4	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	4.91

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत कोटला विकास खण्ड बसन्तपुर जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राम सिहं चौहान, अनुभाग अधिकारी तथा श्री मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 28.7.2016 से 29.7.16 व 1.8.2016 से 2.8.16 तक ग्राम पंचायत, कोटला के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/14, 3/15, 10/15 तथा माह 4/13, 6/14, 4/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत होने अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नही होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत कोटला, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹7000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला—171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0—2 दिनाँक 1.8.2016 द्वारा सचिव, गग्रम पंचायत कोटला से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत कोटला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः—

(क) स्व स्त्रोत व विविध अनुदानः— ग्राम पंचायत कोटला की अवधि 4/2013 से 3/2016 तक स्व स्त्रोतों व विविध अनुदान **(खाता ''क'')** की वित्तीय स्थिति का विवरणः—

स्वतः स्त्रोत एवं विविध अनुदान

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013—14	783096.50	503393	1286489.50	902565	383924.50
2014—15	383924.50	626199	1010123.50	628766	381357.50
2015—16	381357.50	1460591	1841948.50	1124427	717521.50

(ख) अनुदानः— ग्राम पंचायत कोटला की अवधि 4/2013 से 3/2016 की अनुदानों की वित्तीय स्थिति **(खाता ''ख'')** का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट—1** पर संलग्न हैः—

अनुदानों का विस्तृत विवरणः—

मनरेगा

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013—14	371422.82	1611600	1983023.82	1947985	35037.82
2014—15	35037.82	1812843	1847881.82	1843436	4444.82
2015—16	4444.82	739084	743528.8.82	739703	3826.82

5 रोकड वही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(क) ग्राम पंचायत कोटला की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। इस प्रकार पंचायत द्वारा रोकड वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) बैक समाधान विवरणी :— अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत, कोटला द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है, जिसके कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड वही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में **₹3826** का अन्तर था।

क्रम सं0	खाता	अन्तशेष
	रोकड वही की वित्तीय स्थिति के अनुसार	
1	**रोकड वही के अनुसार खाता ''क''—पैरा 4(क)**	**7175215.00**
2	**रोकड वही के अनुसार खाता ''ख''—पैरा 4(ख)**	**3826**.82
	कुल योग	**721346.32**
1	**बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेष (परिशिष्ट —2)**	**1356165.50**
2	**हस्तगत राशि**	**314.00**
	कुल योग	**1356479.50**
रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर		**(—) 635131.18**

अन्तर के कारणः—

1 खाता सं0 6321 हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, सुन्नी

निम्न राशियॉ पास बुक के अनुसार जमा की गई परन्तु रोकड वही में दिनांक 31.3.16 तक इनकी प्रविष्टियाँ नहीं की गई। 264060

दिनांक	राशि
2.4.14	15150
21.4.14	12843

22.4.14	15000
5.5.14	4950
8.5.14	8973
15.5.14	6920
4.6.14	888
6.8.14	11100
13.8.14	8100
14.8.14	14850
8.9.14	8973
12.9.14	15000
16.9.14	13854
23.9.14	35400
30.9.14	7006
27.10.14	13125
28.10.14	15000
1.12.14	8963
3.4.15	30000
2.3.16	17965
योग	**264060**

2. खाता सं015290 हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, सुन्नी

30.9.14	पास बुक के अनुसार जमा की गई राशि परन्तु रोकड वही में दिनांक 31.3.16 तक इसकी प्रविष्ठि नहीं की गई।	118

3. खाता सं015295 हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, सुन्नी

30.9.14	बैंक द्वारा ब्याज की राशि जमा की गई परन्तु रोकड वही में उसी प्रविष्ठि 31.3.16 तक नहीं की गई ।	55

खाता सं015291 हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, सुन्नी

निम्न राशियॉ पास बुक के अनुसार जमा की गई परन्तु रोकड वही में दिनांक 31.3.16 तक इनकी प्रविष्ठि नहीं की गई। 15753

2.4.14	15000
30.9.14	409
16.12.14	344
योग	**15753**

4. खाता सं015293 हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, सुन्नी

निम्न राशियॉ पास बुक के अनुसार जमा की गई परन्तु रोकड वही में दिनांक 31.3.16 तक इनकी प्रविष्ठि नहीं की गई। 210730

23.6.14	60000
24.7.14	73500
14.8.14	76000
30.9.14	1230
योग	**210730**

5 खाता सं015294 हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, सुन्नी

निम्न राशियॉ पास बुक के अनुसार जमा की गई परन्तु रोकड वही में दिनांक 31.3.16 तक इनकी प्रविष्ठि नहीं की गई।		147538
23.6.14	146903	
30.9.14	635	
योग	**147538**	
31.3.16	हस्तगत राशि	

6 खाता सं06741 हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, सुन्नी

निम्न ब्याज की राशियॉ पास बुक के अनुसार जमा की गई परन्तु रोकड वही में दिनांक 31.3.16 तक इनकी प्रविष्ठि नहीं की गई।		420
30.9.14	102	
30.3.15	104	
30.9.15	106	
31.3.16	108	
योग	**420**	
	कुल योग	**638958**
12.9.14 बैंक कमीशन जिसकी प्रविष्टि रोकड वही में नहीं की। (खाता सं0 6321 हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, सुन्नी)		**(–) 30**
रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्तशेष में वास्तविक अन्तर जिसका समाधान पंचायत द्वारा नहीं किया गया है।		**(–)3826**
	योग	**635132**

अतः इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 **निवेशः–** सचिव ग्राम पंचायत, कोटला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत निधि में से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं थी।

7 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना
(क) रोकड वही का निर्माण नियमानुसार न करना

ग्राम पंचायत कोटला की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज {वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) के अनुसार रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा पंचायत स्व स्त्रोत और समस्त प्रकार के अनुदानों हेतु दो रोकड़ बहियों का निमार्ण किया गया है जो कि नियमों के विरूद्व है। अतः नियमों के विरूद्व दो रोकड बहियों का निर्माण करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में रोकड बहियों का निर्माण नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) लैजर खातों का निर्माण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फार्म–7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत कोटला में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है, जबकी की प्रत्येक योजना के लिए अलग लैजर बनाए जाने से किसी भी समय योजना विशेष की वित्तीय स्थिति तथा उस योजना में अन्तशेष की जानकारी उपलब्ध हो सकती थी। अतः नियमों के विरूद्व अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) नियमों के विरूद्व 11 बचत बैंक खातों का खोला जाना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित, बजट, लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता ''क'' में पंचायत के स्वयं संसाघनों से प्राप्त आय तथा खाता ''ख'' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है, परन्तु ग्राम पंचायत कोटला में दो के स्थान पर **परिशिष्ट –2** में वर्णित 11 बचत बैंक खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्व खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित निमयों के अनुसार तैयार न करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवाया जा रहा है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व की ₹0.06 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

सचिव, ग्राम पंचायत कोटला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–3)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व की **₹6120** की वसूली शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है:–

सम्पति कर

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	––	6000	6000	2045	3955
2014–15	3955	7500	11455	5610	5845
2015–16	5845	7550	13395	7275	**6120**

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

10 13 वें व 14वें वितायोग से प्राप्त अनुदान की ₹2.01 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा 13वें व 14वें वितायोग से प्राप्त अनुदानों की राशि से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट–4}** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान की ₹201044 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदानों की राशि के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि की बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.91 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत स्टाक/स्टोर के क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–5** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹490916 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि0प्र0 पंचायती राज {वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालन से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
2	विभिन्न अनुदानों के लैजर खाते	7	29(1)
3	क्लासीफाइड अबस्टैक्ट	8	29(1)
4	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1)(डी)
7	विभिन्न कार्यो का तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर	31	95(1)

14 विविध अनियमितताएं

(क) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज {वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है। अतः 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(ख) ठेकेदार के बिलों से ₹0.02 लाख की संवैधानिक कटौतियॉ न करना

निर्माण कार्य के बिलों से भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रतिभुति राशि, आयकर, बिक्री कर तथा लेबर सैस की अपेक्षित संवैधानिक कटौतीयाँ, जोकि निम्न विवरणानुसार **₹1658** बनती हैं, ठेकेदार से नहीं की गई थीः–

Sr. No	Bill / Vr. No	Month	Name of Item	Name of firm	Amount
1	141 dt. 1-4-15	4/15	Cutting in earth work.	Ajay Pant, Dhami Shimla.	11050
				Total	**11050**
				प्रतिभूति राशि 10 %	1105
				विक्री कर 2 %	221
				आयकर 2 %	221
				लेबर सैस 1 %	111
				कटौतियों की कुल राशि	**1658**

इस प्रकार ठेकेदार के भुगतान बिलों से संवैधानिक कटौतियॉ न करने के कारण सरकारी राजस्व को हानि हुई है, जिसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए व किए गये भुगतानों को उचित ठहराया जाये अन्यथा अधिक किये गये भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए तथा भविष्य में निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय सभी संवैधानिक कटौतियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ग) क्रय की गयी निर्माण सामग्री से नियमानुसार (voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गयी, उस पर 10 एम0एम0 से लेकर 20 एम0एम0 की बजरी पर 5 प्रतिशत की दर पर voids की कटौती करने के उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित था परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना जोकि **परिशिष्ट–6** पर संलग्न है, के अनुसार बजरी पर voids की कटौती नहीं की गई थी, जिसके कारण आपूर्तिकर्ता को ₹1619 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः किये गये अधिक भुगतान को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(घ) ठेकेदारों से ₹0.02 लाख की रोयाल्टी (Royality) की वसूली करके इसे सरकारी कोष में जमा न करना

ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित ठेकेदारों से रेत की आपूर्ति करने पर उनके बिलों से रोयाल्टी के रूप में ₹1600 की वसूली की गई थी, परन्तु लेखा परीक्षा तक उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जोकि अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है। अतः उक्त राशि को तुरन्त सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाएः–

क्रम सं0	बिल सं0	दिनांक	आपूर्ति कर्ता का नाम	मद	राशि	रोयाल्टी की राशि जो वसूल की गई	आपूर्ति कर्ता को भुगतान की गई राशि
1	191	26.2.13	रोहित कुमार	रेता 300 सीएफटी	6500	400	6100
2	506	26.2.13	बिहारी लाल धीमान	रेता 100 सीएफटी	2600	200	2400
3	597	10.3.13	–यथो–	रेता 150 सीएफटी	3900	200	3700
4	192	27.2.13	रोहित कुमार	रेता 300 सीएफटी	6500	400	6100
5	193	1.3.13	–यथो–	रेता 300 सीएफटी	6300	400	5900
					योग	**1600**	

(ड़) दैनिक भत्ते के रुप में ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री कमल राकेश वर्मा, पंचायत सचिव को निम्नविवरण के अनुसार ₹1152 का दैनिक भत्ते के रूप में अधिक भुगतान किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जाएः–

अवधि	कुल दिन	दैनिक भत्ते की दर जिसके अनुसार भुगतान किया गया	भुगतान की गई राशि	वास्तविक दर जिसके अनुसार दैनिक भत्ता देय था	अधिक भुगतान की गई राशि
2.4.13 से 15.11.14	24	₹160/– प्रति दिन	(160X24)= 3840.00	₹160/– का 70 प्रतिशत/प्रति दिन (112X24)=2688.00	1152.00
				योग	**1152.00**

(च) गलत दर पर गणना के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹650 का अधिक भुगतान करना

ग्राम पंचायत द्वारा माह 6/2014 में रेत व बजरी की खरीद हेतु आमन्त्रित की गई कुटेशनों में दी गई दरों से अधिक दर पर भुगतान करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹650 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। अतः अधिक दर पर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जाए।

क्रम सं0	आपूर्ति कर्ता का नाम	मद का नाम	कुटेशन के अनुसार दर	जिस दर से भुगतान किया गया	भुगतान की गई राशि	वास्तविक भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान की गई राशि
1	रोहित कुमार गांव व डाकघर थाची शिमला	रेता 300 सीएफटी	₹36/ प्रति सीफटी	₹36.66/ प्रति सीफटी	₹11000	₹10800	200.00
2	–यथो–	बजरी 225 सीफटी	₹40/ प्रति सीफटी	₹42/ प्रति सीफटी	₹9450	₹9000	450.00
						योग	**650.00**

(छ) स्टॉक रजिस्टर तथा अन्य अभिलेखों का रख रखाव न करना

(i) ग्राम पंचायत द्वारा रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का निर्माण तो किया गया था, परन्तु अंकेक्षण अवधि में जो रसीद बुकें जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त की थी उनकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई थी, जिसके कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि 4/2013 से 3/2016 तक कितनी रसीद बुकें जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त की थी तथा 3/2016 को रसीद बुकों का अन्तिम शेष क्या था। अतः परामर्श दिया जाता है कि रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर को पूर्ण किया जाए तथा अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा सामान्य एवं मनरेगा हेतु दो स्टॉक रजिस्टरों का निर्माण किया गया था तथा पुराने स्टॉक रजिस्टर में 12/2012 तक प्रविष्टियॉ की गई थी, परन्तु अंकेक्षण अवधि में सीमेंट, स्टील, रेता व बजरी की कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई थी। अतः अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 तक की समस्त प्रविष्टियॉ स्टॉक रजिस्टर में की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा माह 7/2015 से सामान्य एवं मनरेगा हेतु नये स्टॉक रजिस्टर का निर्माण किया गया है, परन्तु 7/2015 से पूर्व की कोई भी प्रविष्टि इस रजिस्टर में नहीं की गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि 7/2015 से पूर्व की समस्त प्रविष्टियॉ इस रजिस्टर में करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

(iii) निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री का खपत रजिस्टर/ अभिलेख न रखना

पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे सीमेंट, सरिया, रेत बजरी इत्यादि की आपूर्ति हेतु लाखों रूपये की राशि व्यय की जा रही है, परन्तु क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की जा रही है तथा सामग्री की वास्तविक खपत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया जा रहा है, जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि किस कार्य हेतु कितनी सामग्री की खपत हुई है तथा किसी तिथि विशेष को कितनी मात्रा शेष थी। इस प्रकार अभिलेख

को उचित प्रकार से तैयार न करने के कारण स्टॉक में दुःर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः क्रय की जा रही सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए तथा उसकी वास्तविक खपत व अन्त शेष का भी अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

(iv) मनरेगा निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख न रखना

मनरेगा के निर्माण कार्यों के व्यय/वाउचरों का अवलोकन पर पाया कि मरनेगा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित निर्माण कार्यों के वाउचर, आहरण एवं संवितरण अधिकारी प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किए थे, उक्त के अतिरिक्त भुगतान को पारित करने के आदेश भी माप पुस्तिकाओं में नहीं किए थे, जोकि उचित नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख को आहरण एवं संवितरण अधिकारी से हस्ताक्षरित करना सुनिश्चित किया जाए।

15 **लघु आपति विवरणिकाः—**लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्ष :—** लेखों के रख रखाव में नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा इसमें अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 20/2016—खण्ड—1—6662—6665 दिनाँकः26.12.2016
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत कोटला, विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.